न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई॰ए॰एस॰)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
23 / 2023	12.05.2023	26.07.2024

प्रकरण सं. 23 / 2023 राजस्व वाद पत्र

1. श्री नारायणलाल पिता केदारमल लढा निवासी 2 एफ 11 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।

— वादी

बनाम

1. श्री कालु पिता नाराण माली, निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्री देवीलाल पिता पेमा गाडरी, निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।
3. श्री धन्ना पिता बरदा माली मृतक के बजाय :–
   3/1. लादूलाल पिता स्व० लक्ष्मण माली, निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
   3/2. सुखलाल पिता स्व० मगनीराम माली, निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
   3/3. मोनु पिता स्व० मगनीराम माली, निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
   3/4 लाडदेवी पुत्री स्व० मगनीराम माली निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
   3/5. कन्हैयालाल पिता स्व० उदयलाल माली निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
   3/6. मनभरी पुत्री स्व० उदयलाल पत्नि सुरेश माली निवासी पांसल हाल मुकाम पुर तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
   3/7 माया पुत्री स्व० उदयलाल पत्नि कैलाश माली निवासी पांसल हाल मुकाम मेजा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज०)
   3/8. लक्ष्मी पुत्री स्व० उदयलाल पत्नि कैलाश माली निवासी पांसल हाल मुकाम पुर तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
4. श्रीमती नानी पत्नि नाराण माली मृतक के बजाय –
   4/1. रामेश्वर पिता स्व० मांगीलाल माली निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
   4/2. लादू पिता स्व० मांगीलाल माली निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   4/3. मूली पुत्री स्व० मांगीलाल माली निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
   4/4. किशन पिता स्व० मोहन माली निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   4/5. नन्दूदेवी पुत्री स्व० मोहन माली निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   4/6. देऊ पुत्री स्व० मोहन माली निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   4/7. लादी पुत्री स्व० मोहन माली निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
   4/8 सायर पुत्री स्व० मोहन माली निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. श्री मांगीलाल पिता नाराण माली मृतक के बजाय :–
   5/1– रामेश्वर पिता स्व0 मांगीलाल माली निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
   5/2– लादू पिता स्व0 मांगीलाल माली निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
   5/3– मूली पुत्री स्व0 मांगीलाल माली निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— **प्रतिवादीगण**

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता :– श्री श्रवण कुमार सेन।
2. प्रतिवादी सं0 02 के अधिवक्ता :– श्री हरदयाल वर्मा।

निर्णय दिनांक :– 26.07.2024

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

यह है कि वादीगण की शामलाती अविभाजित कृषि आराजियात वाके ग्राम पुर प0ह0 पुर प्रथम तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :– आराजी नम्बर 6873 रकबा 0.7587 हैक्टयर, आराजी नम्बर 6874 रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 6875 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 6876 रकबा 0.7091 हैक्टयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.2255 हैक्टयर स्थित है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खाते की होकर अविभाजित कृषि आराजियात है जिसमें 1/12वां हिस्सा वादी का, 1/12वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 का, 1/12वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 का एवं 1/1 वां प्रतिवादी संख्या 05 का राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है, उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करते आ रहे है लेकिन रेकॉर्ड में खाता शामलाती होने से लगान जमा कराते समय तथा भूमि को काश्त करते समय मौके पर विवाद व लड़ाई–झगड़ा होता रहता है इसलिए वादी अपने 1/12 वां अनुसार माप व सीमांकन के आधार पर खाता अलग कर, लगान अलग तय करवा विभाजन करवाने का वादी अधिकारी है।

उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी का 1/12वां हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में अंकित है इसलिए वादी अपने 1/12वां हिस्सा आराजी नम्बर 6873 का भाग, ग्राम पांसल की आराजी नम्बर 618 से लगती हुई भूमि का मौके व रेकॉर्ड के अनुसार माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन किया जाने हेतु वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण हर समय टालम टोल करते रहे किन्तु प्रतिवादीगण विभाजन के लिए तैयार नही हुऐ तथा वादी ने अन्तिम बार प्रतिवादीगण को दिनांक 10.04.2022 को विभाजन के लिए निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण बिल्कुल ही विभाजन के लिए इन्कार हो गये, अतः वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह विभाजन का वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि वाद पत्र में वर्णित ग्राम पुर प०ह० पुर प्रथम तहसील व जिला भीलवाड़ा की कृषि आराजी नम्बर 6873 रकबा 0.7587 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6874 रकबा 0.7208 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6875 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6876 रकबा 0.7081 हैक्टेयर, आराजी नम्बर कुल किता 04 कुल रकबा 2.2255 हैक्टेयर भूमि में वादी के 1/12 वां हिस्सा आराजी नम्बर 6873 का भाग, ग्राम पांसल की आराजी नम्बर 618 से लगती हुई. प्रतिवादी संख्या 01 एक के 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो के 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 के 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 के 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 के 1/12 वां हिस्सा अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार भीलवाड़ा से विभाजन प्रस्ताव मंगवा, तद्नुसार अन्तिम डिक्री जारी कराई जावें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 05 उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के फौत होने की रिपोर्ट सम्मन पर प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 02 की और से वकालतनामा पेश हुआ, जवाब पेश नहीं किया। वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0दी व धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 03 धन्ना पिता बरदा माली निवासी पांसल एवं प्रतिवादी संख्या 04 नानी पत्नी नाराण माली की मृत्यु हो चुकी है। मृतक धन्ना के विधिक वारीसान में उदा पुत्र, टमु पुत्री है एवं मृतक नानी के कालु, मांगीलाल पुत्र है जो प्रतिवादी संख्या 01 व 05 के रूप में पहले से ही पक्षकार निर्धारित है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 व प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 स्वीकार कराया जाकर मृतक धन्ना के वारिसान को पक्षकार बनाया जावें एवं प्रतिवादी संख्या 04 नानी का नाम डिलिट कराया जावें वादी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.2023 जो दिनांक 01.01.2024 को पेश किया जिसे नोट प्रेस किया।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी ने एक और प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 व प्रार्थना पत्र ओदश 01 नियम 10 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 03 मृतक धन्ना पिता बरदा माली के दो पुत्र लक्ष्मण व हेमलाल हुये। लक्ष्मण फौत हो गया लक्ष्मण के वारिस लादुलाल व मगनीराम हुये व लादूलाल जीवित है व मगनीराम फौत हो चुका है मगनीराम के वारिस सुखलाल मोनू पुत्र है व लाड देवी पुत्री है हेमलाल फोत हो चुका है जिसके वारिस उदयलाल हुआ। उदयंलाल फोत हो गया जिसके वारिस कन्हैयालाल व मनभरी, माया व लक्ष्मी पुत्रियॉं है जो विधिक वारिस होकर कायम मुकाम है। मृतक धन्ना, मृतक लक्ष्मण, मृतक मगनीराम, मृतक हेमलाल, मृतक उदयलाल की मृत्यु होने के सम्बन्ध में वादी ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वादी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 एवं आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 पर सुना गया। वादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर विधिक वारीसान को सम्मन दिनांक 06.05.2024 को जारी किये गये। सम्मन रजिस्टर्ड जारी होकर सम्मन की डिलीवर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। नियत दिनांक 14.06.2024 को विधिक वारीसान उपस्थित नहीं है। वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 व आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है। संशोधित टाईटल पेश किया। वादी ने प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2024 को पेश किया जिसे स्वीकार किया जाता है प्रकरण में सुनवाई दिनांक 03.07.2024 नियत की जाती है।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता के वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 में बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये वादी का वाद पत्र स्वीकार कराया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री जारी कराई जावें। वाद पत्र में वर्णित ग्राम पुर प०ह० पुर प्रथम तहसील व जिला भीलवाड़ा की कृषि आराजी नम्बर 6873 रकबा 0.7587 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6874 रकबा 0.7208 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6875 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6876 रकबा 0.7081 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.2255 हैक्टेयर भूमि में वादी के 1/12 वां हिस्सा आराजी नम्बर 6873 का भाग, ग्राम पांसल की आराजी नम्बर 618 से लगती हुई. प्रतिवादी संख्या 01 के 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 के 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 के 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 के 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 के 1/12 वां हिस्सा अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कराई जाकर तहसीलदार भीलवाड़ा से विभाजन प्रस्ताव मंगवा, तद्नुसार अन्तिम डिक्री जारी कराने की प्रार्थना की गई है।

वादी के वादपत्र का अध्ययन किया गया। वादपत्र में उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया गया। ग्राम पुर प०ह० पुर प्रथम तहसील व जिला भीलवाड़ा की कृषि आराजी नम्बर 6873 रकबा 0.7587 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6874 रकबा 0.7208 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6875 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी 6876 रकबा 0.7081 हैक्टेयर कुल किता 04 चार कुल रकबा 2.2255 हैक्टेयर भूमि कालु पुत्र नाराण हिस्सा 1/12 माली निवासी पांसल देबीलाल पुत्र पेमा गाडरी हिस्सा 1/3 साकिन बिलिया धन्ना पुत्र बरदा माली हिस्सा 1/3 नानी पत्नी नाराण माली हिस्सा 1/12 निवासी पासंल नारायण लाल पुत्र केदार लाल हिस्सा 1/12 लढा साकिन आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाडा मांगीलाल पुत्र नाराण हिस्सा 1/12 माली साकिन पांसल के संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। वादी वादग्रस्त आराजी में अपना 1/12 हिस्से से विभाजन कराने का अधिकारी है। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 अन्तर्गत आरटीए का स्वीकार किया जाकर दिनांक 03.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0 / 2024 / 1953 दिनांक 22.07.2024 से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिससे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। वादी के वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 में अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है। विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

ग्राम पुर तहसील भीलवाडा

1. नारायण पुत्र केदारलाल लढा सा0 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा के नाम निम्न आराजी नम्बर क्षैत्रफल विभाजन में रहेंगें :–

   आराजी नम्बर 6873 / 1 रकबा 0.1854 हैक्टयर।

2. कालू पिता नाराण माली सा. पांसल हिस्सा 1 / 11, देवीलाल पिता पेमा गाडरी सा0 बिलिया हिस्सा 4 / 11, धन्ना पिता बरदा माली सा0 पासंल मृतक के बजाय कायम मुकाम – लादूलाल पिता लक्ष्मण हिस्सा 4 / 33, सुखलाल पिता मगनीराम हिस्सा 4 / 99, मोनू पिता मगनीराम हिस्सा 4 / 99, लाड देवी पुत्री मगनीराम हिस्सा 4 / 99, कन्हैयालाल पिता उदयलाल हिस्सा 4 / 132, मनभरी पुत्री उदयलाल हिस्सा 4 / 132, माया पुत्री उदयलाल हिस्सा 4 / 132, लक्ष्मी पुत्री उदयलाल हिस्सा 4 / 132, नानी पत्नी नाराण एवं मांगीलाल पिता नाराण मृतकों के बजाय कायम मुकाम – रामेश्वर पिता मांगीलाल हिस्सा 1 / 22, लादू पिता मांगीलाल हिस्सा 1 / 22, मूली पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1 / 22, किशन पिता मोहन हिस्सा 1 / 110, नन्दु पुत्री मोहन हिस्सा 1 / 110 देउ पुत्री मोहन हिस्सा 1 / 110, लादी पुत्री मोहन हिस्सा 1 / 110, शायर पुत्री मोहन हिस्सा 1 / 110 माली सा0 पासंल के नाम निम्न आराजी नम्बर व क्षैत्रफल विभाजन में रहेगें।

   आराजी नम्बर 6873 / 2 रकबा 0.5733, आराजी नम्बर 6874 रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 6875 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 6876 रकबा 0.7081 हैक्टयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.0401 हैक्टयर।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण सं. 23/2023 राजस्व वाद पत्र

1. श्री नारायणलाल पिता केदामल लढा निवासी 2 एफ 11 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।

— वादी

बनाम

1. श्री कालु पिता नाराण जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्री देवीलाल पिता पेमा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)।
3. श्री धन्ना पिता बरदा जाति माली मृतक के बजाय :–
   3/1. लादूलाल पिता स्व० लक्ष्मण जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
   3/2. सुखलाल पिता स्व० मगनीराम जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
   3/3. मोनु पिता स्व० मगनीराम जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
   3/4 लाडदेवी पुत्री स्व० मगनीराम जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
   3/5. कन्हैयालाल पिता स्व० उदयलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
   3/6. मनभरी पुत्री स्व० उदयलाल पत्नि सुरेश जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल हाल मुकाम पुर तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
   3/7 माया पुत्री स्व० उदयलाल पत्नि कैलाश जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल हाल मुकाम मेजा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज०)
   3/8. लक्ष्मी पुत्री स्व० उदयलाल पत्नि कैलाश जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल हाल मुकाम पुर तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
4. श्रीमती नानी पत्नि नाराण जाति माली मृतक के बजाय –
   4/1. रामेश्वंर पिता स्व० मांगीलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
   4/2. लादू पिता स्व० मांगीलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   4/3. मूली पुत्री स्व० मांगीलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
   4/4. किशन पिता स्व० मोहन जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   4/5. नन्दूदेवी पुत्री स्व० मोहन जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   4/6. देऊ पुत्री स्व० मोहन जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
   4/7. लादी पुत्री स्व० मोहन जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
   4/8 सायर पुत्री स्व० मोहन जाति माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. श्री मांगीलाल पिता नाराण माली मृतक के बजाय :–
   5/1– रामेश्वर पिता स्व0 मांगीलाल माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
   5/2– लादू पिता स्व0 मांगीलाल माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
   5/3– मूली पुत्री स्व0 मांगीलाल माली आयु वयस्क निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 02 की ओर से श्री हरदयाल वर्मा उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 24.07.2024 पीठासीन अधिकारी अव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिकी दी जाती है :–

ग्राम पुर तहसील भीलवाडा

1. नारायण पुत्र केदारलाल लढा सा0 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा के नाम निम्न आराजी नम्बर क्षैत्रफल विभाजन में रहेंगें :–

   आराजी नम्बर 6873/1 रकबा 0.1854 हैक्टयर।

2. कालू पिता नाराण माली सा. पांसल हिस्सा 1/11, देवीलाल पिता पेमा गाडरी सा0 बिलिया हिस्सा 4/11, धन्ना पिता बरदा माली सा0 पासंल मृतक के बजाय कायम मुकाम – लादूलाल पिता लक्ष्मण हिस्सा 4/33, सुखलाल पिता मगनीराम हिस्सा 4/99, मोनू पिता मगनीराम हिस्सा 4/99, लाड देवी पुत्री मगनीराम हिस्सा 4/99, कन्हैयालाल पिता उदयलाल हिस्सा 4/132, मनभरी पुत्री उदयलाल हिस्सा 4/132, माया पुत्री उदयलाल हिस्सा 4/132, लक्ष्मी पुत्री उदयलाल हिस्सा 4/132, नानी पत्नी नाराण एवं मांगीलाल पिता नाराण मृतकों के बजाय कायम मुकाम – रामेश्वर पिता मांगीलाल हिस्सा 1/22, लांदू पिता मांगीलाल हिस्सा 1/22, मूली पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/22, किशन पिता मोहन हिस्सा 1/110, नन्दु पुत्री मोहन हिस्सा 1/110 देउ पुत्री मोहन हिस्सा 1/110, लादी पुत्री मोहन हिस्सा 1/110, शायर पुत्री मोहन हिस्सा 1/110 माली सा0 पासंल के नाम निम्न आराजी नम्बर व क्षैत्रफल विभाजन में रहेगें।

   आराजी नम्बर 6873/2 रकबा 0.5733, आराजी नम्बर 6874 रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 6875 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 6876 रकबा 0.7081 हैक्टयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.0401 हैक्टयर।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद कार्यवाही करें, निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा